रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4 खण्ड (ख)
परिनियत आदेश
लखनऊ, मंगलवार, 20 अगस्त, 2002
फाल्गुन, 29, 1924 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-111/11-2002-500(7)-2001

लखनऊ, 20 अगस्त, 2002

अधिसूचना

आदेश

प0आ0- 565

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 1 अप्रैल 2002 से प्रारम्भ होने वाली 31 मार्च 2003 तक की अवधि के लिए उक्त भूमि मे पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा निष्पादित लिखित पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी यी प्रतिफल की धनराशि से ऐसी नजूल भूमिके बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते है ।

परन्तु यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या संविदा आमंत्रण के व्दारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामलों में लागू नही होगी ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस पर ब्याज यदि कोई हो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो से है ।

आज्ञा से,
ललित श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव ।